पेशी 8

19.7.22 पत्रावली पेश। पैरोकार उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का नाम विद्या देवी पुत्री हेतराम दर्ज है जबकि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में विद्या देवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज है। इसलिए प्रार्थीया को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के पिता के नाम के साथ पति का भी नाम जोड़ते हुए विद्या देवी पुत्री हेतराम पत्नी ओमप्रकाश दर्ज किया जावे। राज्य पैरोकार ने निवेदन किया कि उक्त भूमि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में रहन है इसलिए बैंक को पक्षकार न बनाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अन्य कोई भी एतराज प्रस्तुत नहीं किया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात

[signature]

फर्द अहकाम

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया के पिता के नाम के आगे पति का नाम जोड़ा जाना उचित है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील रावला में चक 9 PSD-A के प.नं. 174/47 मु.नं. 35 के किला नं. 13 ता 25 की कुल 3.113 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विद्या देवी पुत्री हेतराम के स्थान पर दुरुस्त करते हुए विद्या देवी पुत्री हेतराम पत्नी ओमप्रकाश दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व रावला को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली बाद तकमील तहसील होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 19.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	